भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 929
दिनांक 05.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

हर घर जल योजना

929. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 'हर घर जल' पहल का ब्यौरा क्या है और इससे देश में, विशेषकर जनवरी 2026 की शुरुआत तक छत्तीसगढ़ में लाभान्वित हुए लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ख) नल कनेक्शनों की लंबी अवधि की कार्यक्षमता की निगरानी करने और छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार कवर की गई बस्तियों को पुनः कवर न की गई बस्तियों के रूप में बदलाव पर निगरानी रखने के लिए लागू तंत्र का ब्यौरा क्या है:
(ग) सौ प्रतिशत संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) लागत के लिए पर्याप्त उपयोगकर्ता शुल्क उत्पन्न करने की उनकी क्षमता के संबंध में ग्राम जल और स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) की वर्तमान स्थिति क्या है;
(प) क्या सरकार ने विशेषकर ग्राम पंचायतों में पंप की मरम्मत और बिजली के बकाया के भुगतान के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग से संबद्ध अनुदानों के उपयोग की सुविधा प्रदान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) पंपिंग की उच्च बिजली लागत का सामना कर रहे दूरस्थ जनजातीय बस्तियों में सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं/किए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ) अगस्त 2019 से, भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल कनेक्शन का प्रावधान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 02.02.2026 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से देश भर में 15.79 करोड़ (81.59%) से अधिक परिवारों के पास नल जल कनेक्शन हैं। इसके अलावा,

छत्तीसगढ़ में 49.97 लाख ग्रामीण परिवारों में से 41.01 लाख से अधिक परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना है।

जल आपूर्ति योजनाओं के नियमित संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) के लिए, छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा प्रगतिशील निर्माण कार्यों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सौर-आधारित जल योजनाएं शामिल हैं, का प्रभावी कार्यान्वयन तथा निगरानी सुनिश्चित करने हेतु एक बहु-स्तरीय और बहु-आयामी व्यापक निगरानी प्रणाली का प्रावधान किया गया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण हेतु कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, प्रशिक्षण, ज्ञान आदान-प्रदान करना, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्रीय दौरे, सृजित परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग जैसे निगरानी तंत्र, भुगतान करने से पूर्व तृतीय-पक्ष निरीक्षण, स्रोत स्थिरता के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्णय आधारित प्रणाली, समुदाय प्रबंधित पाइपगत जल प्रणालियों संबंधी पुस्तिका, एकीकृत पाइपगत जल प्रणाली हेतु विशिष्ट आईडी, गांव/जिला डैशबोर्ड, ईग्रामस्वराज पोर्टल से गांव स्तरीय डैशबोर्डों को जोड़ना, जिला कलेक्टरों का पेयजल संवाद, आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे ग्राम पंचायतों/वीडब्ल्यूएससी को योजनाओं को सौंपने, उन्हें उपयोगकर्ता प्रभार लगाने के लिए सशक्त बनाने, उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के लिए महिला एसएचजी को शामिल करने के प्रावधान के साथ व्यापक ओ एंड एम नीति स्थापित करें। जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव के उद्देश्य से 15वें वित्त आयोग के तहत जल और स्वच्छता के लिए सशर्त अनुदान का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है। कमी के मामले में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करेंगे कि जेजेएम के तहत बनाई गई सभी परिसंपत्तियों का उचित रखरखाव किया जाए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौर ऊर्जा आधारित स्टैंड-अलोन जल आपूर्ति प्रणालियों जैसे प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों का पता लगाने की भी सलाह दी गई है ताकि बिखरे हुए/अलग-थलग/आदिवासी गांवों के लिए ओ एंड एम प्रभारों और बिजली आपूर्ति की निर्भरता को कम किया जा सके।

***